



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1943 (श10)

(सं0 पटना 704) पटना, बुधवार, 18 अगस्त 2021

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
16 अगस्त 2021

सं0 2/पी05-20-06/2010-5969/गृ0आ0—वित्त विभागीय संकल्प सं0-7566 दिनांक 14.07.2010 एवं सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-929 दिनांक 30.03.2011 के आलोक में बिहार पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2010 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तंभ-4 में अंकित तिथि से (पी0बी0-3+ग्रेड-पे रु0 6600/-) Level-11 में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Ø0	inkf/kdkjh dk uke	ojh; rk Øekd	n; frfFk
1	2	3	4
1	श्री राजकिशोर सिंह	163 / 14	दिनांक 23.08.2020
2	श्री आशीष आनंद	165 / 14	दिनांक 23.08.2020
3	श्री कृष्ण कुमार सिंह	169 / 14	दिनांक 20.08.2020
4	श्री संतोष कुमार राय	173 / 14	दिनांक 23.08.2020
5	श्री आनंद कुमार पाण्डेय	175 / 14	दिनांक 20.08.2020
6	श्री जितेन्द्र पाण्डेय	176 / 14	दिनांक 19.08.2020
7	श्री मनोज राम	178 / 14	दिनांक 19.08.2020
8	श्री लाल बाबू यादव	179 / 14	दिनांक 23.08.2020
9	श्री कुमार इन्द्र प्रकाश	181 / 14	दिनांक 19.08.2020
10	श्री प्रीतिश कुमार	182 / 14	दिनांक 19.08.2020
11	श्री शम्स अफरोज	183 / 14	दिनांक 01.09.2020
12	श्रीमती पूनम केशरी	191 / 14	दिनांक 24.08.2020

2. वित्त विभाग के पत्र सं०-3637/वि०, दिनांक 10.04.2013 में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अन्दर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प का चयन किया जायेगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अंतिम होगा। वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।

3. उपर्युक्त किसी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 704-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>